पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 14, अंक 2/2013

बदलती जा रही है समावेशी व सतत् विकास की धारणा

'सरकार ने समावेशी वृद्धि की सतत् निगरानी के लिए 25 सूचकांक निर्धारित किए हैं, जो जल्दी ही योजना आयोग की वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध होंगे।'

'कट्स' की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 'समावेशी वृद्धि के क्या मायने हैं' विषयक थॉट लीडरशिप लेक्चर में योजना आयोग के उपाध्यक्ष एस.एस. अहलूवालिया ने यह जानकारी देते हुए कहा कि समावेशी वृद्धि एक बहुआयामी धारणा है जिसकी कोई एक परिभाषा देना बहुत कठिन है। उन्होंने कहा कि आजकल समावेशी वृद्धि की धारणा 'समावेशी व सतत् विकास' की धारणा में बदलती जा रही है, लेकिन यहां वृद्धि के सतत् आयाम की अनदेखी किए बिना इसके सही मायने समझने की जरूरत है।

सत्र की अध्यक्षता इन्टीग्रेटेड रिसर्च फॉर एक्शन एण्ड डवलपमेंट के कार्यकारी निदेशक किरीट पारिख ने की। उन्होंने समावेशी वृद्धि का मतलब समझाते हुए कहा कि इसमें गरीब व अमीर दोनों तबकों का समान विकास होता है। परिचर्चा के दौरान अहलूवालिया ने बताया कि भारत की सरकारों ने कभी वृद्धि को राष्ट्रीय सुदृढ़िकरण से जोड़ कर नहीं देखा, वरन् इसे राष्ट्र के जीवन स्तर को एक स्वीकार्य स्तर तक लाने पर ही केन्द्रित रखा। उन्होंने पंडित नेहरू को सच्चा 'विकास वाला' बताते हुए कहा कि नेहरू की सोच 'राष्ट्रीय जीवन स्तर को एक स्वीकार्य स्तर तक लाने में राष्ट्रीय आय को बढ़ाना होगा' से वह पूर्णत: सहमत है।

उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि पूर्व के दिनों में वृद्धि का मुख्य लक्ष्य सिर्फ गरीबी कम करना होता था। मगर अब यह अहसास किया गया है कि वृद्धि की सुनिश्चितता के लिए गरीबी के अलावा भी कई चीजें आवश्यक है तथा इस हेतु आवश्यक संसाधन जुटाना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि वृद्धि का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि गरीबों की गरीबी कम हो जाए, अपितु इसका मुख्य लक्ष्य 'सामाजिक गतिशीलता' से भी है, जिससे आम आदमी को समाज में अपना हुनर दिखाने का मौका मिले।

उन्होंने भारत की विकास दर के बारे में कहा कि यदि आगामी दो वर्षों में पर्याप्त व समय परक कदम उठाये जाए तो वृद्धि दर 7 प्रतिशत के आस पास रखी जा सकती है। उन्होंने चीन की वृद्धि दर का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर भारत में भी ढ़ांचागत विकास, लचीले श्रम कानून, भूमि प्रबन्धन एवं शहरी विकास के मुद्दों को प्रभावी तरीके से लागू करें तो भारत भी चीन की गति से विकास कर सकता है।

टी.सी.ए.श्रीनिवास राघवन, सम्पादकीय सलाहकार, सी.ई.ओ., कस्तूरी एण्ड संस ने अहलूवालिया से सहमति जताते हुए कहा कि भारत के श्रम कानूनों में कोई कमी नहीं है, मगर प्रबन्धन जिस तरीके से श्रम कानूनों को लागू करता है, ट्रेड यूनियनों से व्यवहार करता है तथा श्रम न्यायालय कार्य करते हैं, वो सभी समस्याएं खड़ी करते हैं।

सुरजीत भल्ला, प्रबन्ध निदेशक, ऑक्स्स रिसर्च एण्ड इन्वेस्टमेन्ट ने भारत द्वारा प्राप्त की गई सफलताओं को अतुलनीय बताते हुए कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा विकास हुआ है, जिसे प्रभावी तरीके से दुनिया के सामने रखने की जरूरत है। 'निजी क्षेत्र की वृद्धि में भूमिका' के सवाल का उत्तर देते हुए अहलूवालिया ने कहा कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ही कॉरपोरेट गवर्नेन्स को प्रभावी व सुचारू बना सकती है।

इस अवसर पर कट्स के महामंत्री प्रदीप एस. महता ने 'कट्स' के अनुसंधानों का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक ढांचागत सुविधाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने से सुचारू वृद्धि संभव है, अन्यथा ये बेतरतीब विकास में बदल जाती है।

कट्स उपनिदेशक बिपुल चटर्जी ने आगन्तुकों को धन्यवाद ज्ञापित किया एवं कहा कि वृद्धि का मापन किया जा सकता है, मगर समावेशी वृद्धि के विकास सूचकांकों को निर्धारित किया जाना जरूरी है। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया एवं प्रश्नोत्तरी सत्र में बहुत से महत्वपूर्ण सवाल पूछे जो कि विभिन्न लघु एवं वृहद् मुद्दों से सम्बन्धित थे।

इस अंक में...

- बैंकों ने डकारे किसानों के 150 करोड़ 3
- कोयला घोटाले में सरकार फिर बेपर्दा 4
- रिश्वत के साथ रेल मंत्री का भांजा गिरफ्तार .. 5
- उपकरण फुंके तो मिलेगा हर्जाना ! 8
- रोडवेज मे महिलाओं का सफर सस्ता 10

'माई सिटी' के अन्तर्गत नागरिकों की शिकायतों का समाधान

'कट्स' द्वारा एशिया फाउण्डेशन के सहयोग व नागरिकों की भागीदारी से जयपुर शहर में स्थानीय निकायों की सेवाओं में सुधार हेतु 'माई सिटी' नामक परियोजना का संचालन किया जा रहा है। उक्त परियोजना में सामाजिक जवाबदेहिता के विभिन्न उपकरणों का प्रयोग कर नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

अप्रेल माह में जयपुर के आठ चयनित वार्डों में द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय नागरिकों को सेवा प्रदाताओं से प्रत्यक्ष संवाद करने एवं जन समस्याओं के समाधान हेतु एक मंच उपलब्ध कराया गया। बैठकों में नगर निगम पार्षदों व अधिकारियों द्वारा नागरिकों को सुनकर जन समस्याओं के सुधार हेतु प्रयास किया गया।

एक द्विपक्षीय बैठक में भाग लेते हुए जयपुर नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगरूप सिंह यादव ने कहा कि यह परियोजना, जयपुर नगर निगम को विभिन्न वार्डों में लोगों के घरों तक पहुंचने तथा निगम की सेवाओं में नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ाने एवं सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु सहायक साबित हो रही है। जयपुर शहर के उप महापौर मनीष पारीक ने भी विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नागरिकों की वृहद् जागरूकता से ही सेवाओं की आपूर्ति में सुधार संभव है।

परियोजना के अन्तर्गत चयनित वार्डों में स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से निरन्तर सामुदायिक बैठकों का भी आयोजन किया जा रहा है, साथ ही 'सिटीजन एक्शन ग्रुप' (सी.ए.जी.) नाम से सक्रिय नागरिकों का समूह बनाकर जन समस्याओं के समाधान हेतु एकजुट होने का प्रयास किया जा रहा है।

जॉर्ज चेरियन अन्तर्राष्ट्रीय रोडा कार्पट्किन उपभोक्ता फ़ैलो से पुरस्कृत

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स) के निदेशक जॉर्ज चेरियन द्वारा उपभोक्ताओं के कल्याण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2013 'रोडा कार्पट्किन' अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता फ़ैलो से पुरस्कृत किया गया है। उन्हें यह सम्मान अमेरिकन काउन्सिल ऑन कन्ज्यूमर इंटरेस्ट (एसीसीआई), द्वारा पोर्टलैण्ड (अमेरिका) में दिनांक 10-12 अप्रेल, 2013 को आयोजित वार्षिक सम्मेलन के दौरान दिया गया।

अमेरिकन काउन्सिल ऑन कन्ज्यूमर इंटरेस्ट 1953 में स्थापित हुई थी, जो कि शिक्षाविदों एवं पेशेवरों के लिए एक अग्रणी सदस्यता संगठन है। पुरस्कार प्राप्त करने के अवसर के दौरान जॉर्ज चेरियन ने 'कन्ज्यूमर इन ग्लोबल एज' विषय पर आयोजित सेमीनार में इसी परिप्रेक्ष्य के साथ 'भारतीय उपभोक्ता की स्थिति' विषय पर रोडा कार्पट्किन अन्तर्राष्ट्रीय व्याख्यान दिया।

रोडा कार्पट्किन उपभोक्ता अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार, रोडा कार्पट्किन द्वारा विश्व स्तर पर उपभोक्ता कल्याण के लिए अग्रणी काम करने के उपलक्ष्य में 2005 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वालों को पहचान दिलाता है।

उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली की दी जानकारी

कट्स की ओर से उज़्बेकिस्तान गणराज्य के नौ सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के लिए चार दिवसीय उपभोक्ता संरक्षण पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और भारत में उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली के विभिन्न विषयों और कार्यक्रमों को विस्तार से बताया गया। भारतीय वित्तीय क्षेत्र और उपभोक्ता संरक्षण के लिए किए गए उपायों, जैसे वित्तीय समावेश, बैंकिंग संस्कृति के रूप में उभरते हुए नए मुद्दों, नकद प्रोत्साहन, वित्तीय क्षेत्र में विनियामक की स्थापना, शासन और कानून की कार्य प्रणालियों पर प्रकाश डाला।

उज़्बेकिस्तान प्रतिनिधियों ने भारतीय वित्तीय क्षेत्र में लोकपालों और वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण के लिए किए जा रहे क्रिया-कलापों को समझाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का दौरा किया। प्रतिनिधि मंडल ने विभिन्न विषयों पर उक्त संस्थानों के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बातचीत कर विभिन्न जानकारी प्राप्त की। उन्होंने भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्मित कानूनों के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की तारीफ की। प्रतिनिधियों ने सूक्ष्म वित्त के बारे में अध्ययन करने के लिए जयपुर के समीपवर्ती गांवों का दौरा किया। इस प्रतिनिधि मंडल में उज़्बेकिस्तान गणराज्य स्थित सेंट्रल बैंक, माइक्रोफाइनेंस, राष्ट्रीय संस्थाओं के संघ, उपभोक्ता संरक्षण संघ और जीआइजेड के प्रतिनिधि शामिल थे। प्रशिक्षण से प्राप्त जानकारियों को वे अपने देश में लागू करने का प्रयास करेंगे।

सूरतगढ़ फोरलेन में करोड़ों का घोटाला

हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ तक बनाई गई 54 किलोमीटर लम्बी फोरलेन सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। राजस्थान सड़क विकास निगम की ओर से बनाई गई इस सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इस सड़क का काम छह कंपनियों से करवाया गया और उन्हें नौ-नौ किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्यादेश दिया गया था।

निर्माण में गड़बड़ी की जानकारी सामने आने पर पीडब्लूडी मंत्री भरत सिंह के आदेश पर मामला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंपा गया। जांच में सामने आया कि निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया और निम्न स्तर की निर्माण सामग्री इस्तेमाल की गई। इससे सरकार को 13 करोड़ 38 लाख रुपए की हानि हुई है। *(रा.प., 03.05.13)*

पंचायतीराज-कागजों में अधिकार!

राजस्थान के करीब ढाई साल पहले पंचायती राज को सुपुर्द किए गए पांच विभागों के अधिकार महज कागजों तक ही सिमट कर रह गए हैं। 73वें संविधान संशोधन के हिसाब से पंचायतों को 29 विषय सुपुर्द किए जाने है पर राज्य में 2 अक्टूबर, 2010 को सौंपे गए पांच विभागों के बाद कोई नया विभाग नहीं सौंपा गया।

पंच-सरपंच, ग्राम सेवक, प्रधान व प्रमुखों के सम्मेलनों से लेकर विधानसभा तक यह मुद्दा खूब उठा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। विभागों की जो गतिविधियां पंचायतीराज को सौंपी उनमें महकमों के मंत्री और सचिवों का दखल बरकरार है। ये खुद ऊपर से तबादला, पदस्थापन के आदेश जारी करते हैं। *(रा.प., 24.04.13)*

बैंकों ने डकारे किसानों के 150 करोड़

राजस्थान के कई सहकारी बैंकों ने केन्द्र सरकार की किसानों के लिए लागू की गई कर्ज माफी योजना के तहत जमकर पैसा डकारा। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने इस घोटाले का खुलासा किया है। इस खुलासे के बाद नाबार्ड ने बैंकों को कर्जदार किसानों के सत्यापन सम्बंधी जांच के आदेश दिए।

जांच में सामने आया कि सहकारी बैंकिंग संस्थाओं ने ऐसे किसानों के नामों पर भी कर्ज दे रखा था, जो कहीं नहीं हैं। बहुत से अपात्र किसानों को भी कर्ज दे रखा था। जब उनके नाम से ऋण माफी की रकम खाते में पहुंची, तो संस्थाओं ने वह रकम हजम कर ली। राजस्थान में यह घोटाला करीब 150 करोड़ रुपए का होने की संभावना है। *(रा.प., 07.05.13)*

यूं किया खेल

- *अपात्र होते हुए भी नाम जोड़ कर ग्राम सहकारी समितियों ने क्लेम लिया।*
- *फर्जी नामों से क्लेम लिया ।*
- *पात्र किसानों के ऋण माफ नहीं कर उनसे पूरा ऋण वसूला।*
- *बड़े किसानों को भी छोटे किसानों के रूप में लाभ दिलाया।*

मनरेगा योजना की कैग ने खोली पोल

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरेगा में पैसे की लूट और मनमाने उपयोग के साथ-साथ बरती गई भारी अनियमितताओं का खुलासा किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस योजना में 13 हजार करोड़ रुपए की बन्दरबांट हुई और इसका लाभ भी सही लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है।

कैग ने 14 राज्यों में ऑडिट के दौरान पाया कि सवा चार लाख जॉब कार्डों में फोटो नहीं थे, यानि वे फर्जी थे। योजना में 1.26 लाख करोड़ रुपए के 129 लाख प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई इनमें से सिर्फ 30 फीसदी में ही काम हुआ। ऑडिट में यह भी सामने आया कि 2,252 करोड़ रुपए ऐसे कामों के लिए आवंटित कर दिए गए जो नियम के मुताबिक मनरेगा के तहत नहीं आते। रिपोर्ट में सामग्री में अधिक खर्च, ऑडिट इकाइयों का गठन नहीं करने, कम भुगतान करने, रिकॉर्ड नहीं मिलने जैसी अनेक गड़बड़ियों का खुलासा किया है। *(रा.प. एवं दै.भा., 24.04.13)*

आरटीडीसी में करोड़ों की हेराफेरी

बच्चों को टूर घुमाने के नाम पर राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आरटीडीसी) में अफसरों ने एक फर्म को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया। निगम की सतर्कता शाखा ने आठ महीने पहले इसकी जांच कर कई अफसरों व कर्मचारियों को दोषी माना, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए एजुकेशन आउट टूर और एजुकेशन लोकल टूर योजना बनाई थी। लोकल टूर का काम आरटीडीसी को मिला तो उसने यह जिम्मेदारी सीआरओ को दे दी। अधिकारियों ने आपस में मिलीभगत कर टूर का ठेका 93 रुपए प्रति छात्र दे दिया। जबकि यही टूर कंपनी इसके लिए 78.77 रुपए ले रही थी। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय को भी की गई पर मामले को दबा दिया गया। *(रा.प., 15.04.13)*

चिकित्सा विभाग की लापरवाही उजागर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते पिछले तीन साल से योग्य सोनोलॉजिस्ट नहीं होने व पंजीकरण के अभाव में मोबाइल मेडिकल वैन में एक करोड़ रुपए कीमत की 52 अल्ट्रासोनोग्राफी मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो पाया। नियंत्रक एवं महालेखाकार (सीएजी) की रिपोर्ट-2013 में बताया गया है कि विभाग ने इन मशीनों के पंजीकरण और सोनोलॉजिस्ट की नियुक्ति के प्रयास ही नहीं किए। नतीजा यह हुआ कि मोबाइल वैन में अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन नहीं लगने से मां के गर्भ में बच्चे की हलचल, वजन, स्थिति, जन्मजात विकृति, गर्भनाल आदि जांचें नहीं हो पाई।

सीएजी की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि केन्द्र सरकार ने लैप्रोस्कोपिक उपकरण खरीदने के लिए सात करोड़ रुपए दिए मगर उनका उपयोग नहीं हुआ। नतीजतन परिवार कल्याण कार्यक्रम का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य देखभाल के लिए मिले 10.25 करोड़ रुपए का जमीन खरीदने व भवन निर्माण में अनियमित उपयोग किया गया। *(दै.भा., 22.04.13)*

मजदूरों से छलावा

प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के नाम पर पिछले तीन माह से मजदूरों के साथ छलावा हो रहा है। सरकार एक जनवरी से न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी के विज्ञापन छपवा रही है, जबकि हकीकत में अभी तक इसकी अधिसूचना ही जारी नहीं हुई है। श्रमिक संगठनों ने इसे प्रदेश में कार्यरत लाखों कुशल-अकुशल श्रमिकों के साथ धोखा बताया है।

राज्य सरकार ने अपनी चौथी वर्षगांठ पर एक जनवरी 2013 से न्यूनतम मजदूरी में 19 रुपए की वृद्धि की घोषणा की थी। यह बढ़ोतरी कृषि क्षेत्र के अलावा 52 अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहे श्रमिकों पर लागू होनी है। श्रम मंत्री मांगी लाल गरासिया का कहना है कि प्रक्रिया में समय तो लगता ही है। *(रा.प., 02.04.13)*

कोयला घोटाले में सरकार फिर बेपर्दा

कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में केन्द्र सरकार एक बार फिर बेपर्दा होती नजर आई है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई की मूल स्टेटस रिपोर्ट में 15 से 20 प्रतिशत तक बदलाव किया गया था। पुरानी रिपोर्ट में दागियों के नाम हटाए गए थे। इसका खुलासा सीबीआई की दूसरी स्टेटस रिपोर्ट से होता है। बगैर बदलाव वाली रिपोर्ट में कई अधिकारियों और मंत्रालयों की भूमिका का जिक्र है।

सीबीआई के अनुसार स्टेटस रिपोर्ट कानून मंत्री अश्वनी कुमार की इच्छा के अनुरूप उनसे साझा कर बनाई गई थी जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी देखा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को फटकार लगाई थी। इसलिए सीबीआई को आजाद करने के लिए सरकार ने मंत्री समूह गठित किया है। यह समूह सीबीआई को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के उपाय सुझाएगा।

(रा.प., 30.04.13 एवं दै.भा., 15.05.13)

सर्वोच्च अदालत ने लगाई फटकार

कोयला घोटाले की जांच में सरकारी दखल पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को केन्द्र सरकार को फटकार लगाई थी। सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई को पिंजरे में बन्द तोता बताते हुए सरकार से कहा था कि वो 10 जुलाई से पहले उसे आजाद करे, वरना यह काम कोर्ट करेगा।

कृषि ऋण माफी योजना में घपला

केन्द्र सरकार की कृषि माफी व राहत योजना में राजस्थान में 16.34 करोड़ रुपए का घपला सामने आया है। कैग ने देश भर में इस योजना में 52 हजार करोड़ का घोटाला बताया था। राजस्थान में जिला सहकारी बैंकों के जरिए ये ऋण बांटे गए थे। नाबार्ड ने राज्य के राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक को इस मामले की पड़ताल करने व रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे।

जांच में सामने आया कि 29 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों ने इस योजना का 12 हजार 504 अपात्र किसानों को 16.34 करोड़ रुपए का लाभ दे दिया। जबकि राज्य में पात्रता के बावजूद 26 हजार 39 किसान योजना से वंचित रह गए। इन किसानों को 44.16 करोड़ रुपए का लाभ दिया जा सकता था। घोटाले के आरोपों के बाद कुछ सहकारी बैंकों ने अपात्र किसानों को दी गई राहत की राशि के 3.77 करोड़ रुपए का नाबार्ड को रिफण्ड भी कर दिया। *(रा.प., 07.06.13)*

कैग ने खोली टोल की पोल

राज्य सरकार ने जनता को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के जिस उद्देश्य से राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम का गठन किया है, उसमें निगम खरा नहीं उतर रहा है। टोल के नाम पर निगम ने जनता से मनमानी वसूली की, वहीं 85 प्रतिशत काम देरी से पूरे किए। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) की ओर से प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में विधानसभा में प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह सामने आया है।

निगम ने वर्ष 2006-07 से वर्ष 2011-12 तक 267 निर्माण हाथ में लिए। इनमें से 228 काम समय पर पूरे नहीं किए। काम का ऊंची दरों पर ठेका देना और टोल वसूली शुरू करने के कुछ ही समय बाद सड़क का कई जगह से टूट जाना पाया गया। *(रा.प., 01.04.13)*

सांसद निधि : नहीं हो रहा पूरा उपयोग

प्रदेश के मौजूदा लोकसभा और राज्यसभा सांसदों में से केन्द्रीय मंत्री और बड़े नेता सांसद कोष पूरी तरह खर्च नहीं कर पा रहे हैं। केन्द्र में प्रदेश के 7 सांसद मंत्री हैं। इनमें से सी.पी.जोशी और लाल चन्द कटारिया ही 85 प्रतिशत राशि खर्च कर पाए हैं। सांसद राम जेठमलानी ने भी कोष का सर्वाधिक इस्तेमाल किया है।

सांसदों को प्रतिवर्ष अपने संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए पांच करोड़ रुपए मिलते हैं। प्रदेश के लोकसभा सांसद बीते चार सालों में उन्हें आवंटित राशि का 66 फीसदी ही खर्च कर पाए हैं। वहीं प्रदेश के 10 राज्य सभा सांसद 31 मार्च, 2013 तक सिर्फ 68 फीसदी राशि ही खर्च कर पाए हैं। *(रा.प., 14.04.13 एवं न.नु., 27.04.13)*

खर्च नहीं कर पाते, बढ़वा लेते है पैसा

राज्य सरकार अपनी वार्षिक योजना का आकार तो हर साल बढ़ा लेती है, लेकिन खर्च नहीं कर पाती। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक योजना तो बढ़ा ली लेकिन मूल रूप से निर्धारित राशि भी खर्च नहीं हुई। योजना का आकार 33,141 करोड़ रुपए था, जिसे 36,363 करोड़ रुपए कर दिया गया।

चौंकाने वाली बात यह है कि 31 मार्च तक 32,605 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए। विभागों ने फरवरी, 2013 तक 11 महीनों में 73 प्रतिशत राशि ही खर्च की थी। इसमें से 25 प्रतिशत पैसा सिर्फ मार्च में खर्च किया गया। अब राज्य की नई योजना 2013-14 के लिए 40 हजार 139 करोड़ रुपए का आकार तय किया गया है। विभाग वार्षिक योजना का एक बड़ा हिस्सा मार्च माह में खर्च करते हैं। *(रा.प., 19.05.13)*

जरूरत का एक चौथाई ही खर्च

प्रदेश में सड़कों की नियमित मरम्मत नहीं हो रही। इसके लिए जितनी राशि की न्यूनतम आवश्यकता है, उससे बमुश्किल एक चौथाई ही खर्च की जाती है। इसी का नतीजा है कि वाहन चालकों को ऊबड़-खाबड़ राहों से गुजरना पड़ता है। राजस्थान रोड सेक्टर मॉडनाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए उधार देने के उद्देश्य से विश्व बैंक की ओर से कराए गए आकलन में यह सामने आया है।

सड़कों के निर्माण व आधुनिकीकरण के 2300 करोड़ रुपए लागत की इस परियोजना के लिए बैंक ने 1700 करोड़ रुपए देने की सैद्धान्तिक सहमति दी है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में सड़क मरम्मत के लिए केवल 250 करोड़ रुपए ही खर्च किए जा रहे हैं, जबकि कम से कम आवश्यकता 1000 करोड़ रुपए की है।

(रा.प., 08.04.13)

छीन लिया बुनकरों का हक

राज्य सरकार ने राजस्थान बुनकर संघ को वर्ष 2012-13 में मुख्यमंत्री बुनकर रोजगार योजना के तहत बुनकरों से सामान तैयार कराने के लिए ढाई करोड़ रुपए दिए थे। इस राशि से सूत खरीद कर बुनकरों को दिया जाना था, जिससे वे बेड शीट्स, टॉवल, कम्बल और अन्य सामग्री तैयार कर संघ को दे और संघ उन्हें बेचे। लेकिन संघ ने सूत खरीद कर बुनकरों को देने के बजाय सीधे ही बाजार से काम करने वाली समितियों से बने बनाए कपड़े खरीद लिए।

इसमें भी नियमों का उल्लंघन किया गया। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए भी सरकार से पांच करोड़ रुपए बुनकर संघ को देने की घोषणा की है। यदि अनयमितताओं को रोकने के उपाय नहीं किए गए तो इस साल भी इसका लाभ बुनकरों को नहीं मिलेगा। *(रा.प., 20.05.13)*

लोकतंत्र के लिए खतरा है भ्रष्टाचार

राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने के लिए एक खतरा है और यह समानता लाने के प्रयासों को विफल कर देता है। अच्छे शासन का अर्थ होता है ऐसी व्यापक संरचना का अस्तित्व में आना जो जनता की बेहतरी पर केन्द्रित हो। भ्रष्टाचार इसमें सबसे बड़ी बाधा है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आयोजित 14वां डी.पी.कोहली स्मृति व्याख्यान में 'अच्छा शासनः संस्थान, समाज एवं जनता को सशक्त बनाना' विषयक व्याख्यान मे राष्ट्रपति ने यह संदेश देते हुए कहा कि देश चौराहे पर खड़ा है और बदलाव की रफ्तार को कम नहीं किया जा सकता।

(न.नु., 08.04.13)

पुलिस ने दी 5.50 लाख की घूस

बांसवाड़ा के पाटन थाने में पुलिस कस्टडी में दुष्कर्म के आरोपी भोराज गांव निवासी टिटिया की मौत को दबाने के एवज में पुलिस द्वारा मृतक के परिवार को 5.50 लाख रुपए की रिश्वत देने के मामले का खुलासा हुआ है। इस राशि में से पीड़ित परिवार तक केवल चार लाख रुपए ही पहुंचे हैं। शेष 1.50 लाख रुपए की राशि बिचौलियों ने हड़प कर ली।

पुलिस को डर था कि टिटिया के परिवार वाले मामले को आगे बढ़ाएंगे और इससे पूरे थाने का स्टाफ फंस जाएगा। टिटिया के परिवार वालों तक गांव के पूर्व सरपंच, पूर्व प्रधान के माध्यम से पुलिस ने यह राशि मृतक की पत्नी तक पहुंचाई। *(दै.भा., 26.05.13)*

एक पार्टी ग्रेजुएट, दूसरी पीएचडी – अन्ना

अन्ना हजारे ने कहा है कि भ्रष्टाचार में एक दल ग्रेजुएट है तो दूसरा पीएचडी। एक पार्टी को हटाकर दूसरे को सत्ता सौंपने से देश नहीं बदलेगा। लोगों के एकजुट हुए बिना व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव मुश्किल है। जनतंत्र यात्रा के साथ अजमेर आए अन्ना ने कहा कि संविधान में 'प्रजा सत्ता और लोकतंत्र का उल्लेख है, लेकिन पक्ष और विपक्ष ने सत्ता कब्जा ली है।

उन्होंने कहा इसलिए लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया। आज राजनीतिक दलों में सत्ता पाने की होड़ मची है। संसद और विधान सभाओं में कई बाहुबली और भ्रष्ट लोग काबिज हैं। कोई पार्टी जनलोकपाल बिल नहीं लाना चाहती। अब उन्हें नकारने के लिए जनता को ही जागृत होना पड़ेगा।

(रा.प., 11.05.13)

सूचना का अधिकार सशक्त हथियार

जनहित में भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए और इसके लिए सूचना का अधिकार एक सशक्त हथियार है। इससे आज पूरे भारत में भ्रष्टाचार की परतें खुल रही है। भ्रष्ट तरीके से कमाये गए धन से परिवारों को कई पीड़ाएं झेलते और बर्बाद होते हुए देखा गया है।

राजस्थान सूचना आयोग के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपस्थित जन समूह को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सूचना के अधिकार की शुरुआत करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। पब्लिक रिकार्ड एक्ट बनाए जाने के बारे में मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा रखे गए सुझाव का उन्होंने स्वागत करते हुए इसका मॉडल बना कर प्रेषित करने को कहा। *(न.नु., 20.04.13)*

जब्त होगी भ्रष्ट लोक सेवकों की संपत्ति

भ्रष्टाचार रोक थाम कानून 1988 में सरकार ने आमूल चूल परिवर्तन किए हैं। इसमें किसी भ्रष्ट लोक सेवक की अवैध रूप से हासिल संपत्ति जब्त करने और कार्यरत व सेवानिवृत्त लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए समय सीमा का प्रावधान है।

वित्त मंत्री पी.चिंदबरम ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सेवानिवृत्त लोक सेवक के पद पर रहते हुए किसी कार्य को लेकर अगर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना है तो सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

(रा.प., 02.05.13)

व्यवसाय में भ्रष्टाचार है बड़ी बाधा

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री शशि थरूर ने कहा है कि देश में व्यवसाय शुरू करने में सबसे बड़ी बाधा भ्रष्टाचार है। भारतीय प्रबन्ध संस्थान की ओर से आयोजित विश्व प्रबंधन सम्मेलन में उन्होंने कहा कि उनके सामने कई ऐसे मामले आ चुके हैं, जिसमें व्यवसायी भ्रष्टाचार के कारण यहां निवेश करने से हिचकिचाए।

उन्होंने कहा 'भ्रष्टाचार निवेशकों के लिए हतोत्साहित करने वाला कारक है। यदि नौकरशाहों या राजनेताओं को रिश्वत नहीं दी जाती है तो काम कई बार वर्षों नहीं तो महीनों तक अवश्य लटका रहता है।' *(न.नु., 01.06.13)*

'रोकड़ा' बिना काम नहीं करते साहब

कोर्ट लिपिक भर्ती में रिश्वत के मामले में निलम्बित हो चुके अजमेर के न्यायाधीश अजय कुमार शारदा बिना पैसे के कोई काम नहीं करते। शारदा के लिए मध्यस्थता करने वाले वकील हेमराज कानावत व लिपिक राजेश शर्मा लोगों से यह बात करते आए है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की चार्जशीट में यह खुलासा किया गया है।

एसीबी की टीम ने जज शारदा और वकील हेमराज कानावत की मुलाकातों की वीडियो रिकार्डिंग करवाई थी। इस तरह 57 वीडियो क्लिपिंग बनाई गई थी। एसीबी ने ऐसे कई आधारों और घरों से बरामद सामग्री का उल्लेख करते हुए इस नतीजे पर पहुंची है कि जज शारदा कोर्ट लिपिक भर्ती घोटाले में लिप्त हैं।

(दै.भा., 24.06.13 एवं रा.प., 26.06.13)

रिश्वत के साथ रेल मंत्री का भांजा गिरफ्तार

सीबीआई ने रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे विजय सिंगला को 90 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। उसने यह रिश्वत रेलवे बोर्ड के सदस्य महेश कुमार से प्रमोशन के नाम पर ली थी। सीबीआई के अनुसार महेश कुमार का प्रमोशन मलाईदार पद पर करने के नाम पर भांजे ने दो करोड़ रुपए की मांग की थी। चंडीगढ़ में सिंगला मंजूनाथ नाम के व्यक्ति से पहली किस्त के तौर पर महेश द्वारा दिए गए 90 लाख रुपए ले रहा था तब उसी दौरान दोनों को सीबीआई ने रंगे हाथ पकड़ा।

इस संबध में एक अन्य व्यक्ति संदीप गोयल को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई को जांच में पता चला भांजा विजय सिंगला रेलवे के आला अधिकारियों के ट्रांसफर, प्रमोशन और कई ठेकेदारों को ठेके दिलवा कर धन बटोरता था। मामलों के तार रेल मंत्री पवन बंसल से जुड़े होने की बात भी आई। इससे रेल मंत्री पवन बंसल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। मामले की जांच जारी है। *(रा.प. एवं दै.भा., 04.05.13)*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
पाली	मदनलाल माली	अध्यक्ष, नगरपालिका, जैतारण	23,000	दै.भा. एवं रा.प., 02.04.13
सीकर	महावीर प्रसाद यादव	हैड कांस्टेबल, थोई थाना, सीकर	5,000	दै.भा., 02.04.13
अलवर	रामअवतार सैनी	मीटर रीडर, विद्युत निगम कार्यालय, कालीमोरी, अलवर	5,000	दै.भा., 06.04.13
जोधपुर	अशोक मीणा अशोक व्यास	अधिकारी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.जोधपुर अधिकारी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.जोधपुर	5,000	दै.भा. एवं रा.प., 08.04.13
नागौर	अनवर हुसैन	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नागौर	8,000	रा.प. एवं दै.भा., 11.04.13
जयपुर	जी.आर.गुप्ता दिनेश अरोड़ा दिनेश मक्कड़	एक्सईएन, जलदाय विभाग,जयपुर निजी सचिव एक्सईएन, जलदाय विभाग,जयपुर कनिष्ठ लेखाकार, जलदाय विभाग,जयपुर	71,000	रा.प. एवं दै.भा., 19.04.13
पाली	बगदाराम भायल	सरपंच, बिराटिया खुर्द ग्राम पंचायत, पाली	5,000	दै.भा., 23.04.13
जोधपुर	जोग सिंह	सरपंच, रोहट पंचायत समिति, कुलथाना, जोधपुर	13,000	रा.प., 25.04.13
चित्तौड़गढ़	सुरेन्द्र कुमार सोनी	परियोजना प्रबंधक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	3,00,000	दै.भा. एवं रा.प., 30.04.13
कोटा	रामसिंह मीणा मेहबूब	सी.आई., सुल्तानपुर थाना, सुल्तानपुर, कोटा चालक, सुल्तानपुर थाना , सुल्तानपुर, कोटा	20,000	रा.प. एवं दै.भा., 30.04.13 एवं दै.भा., 01.05.13
चित्तौड़गढ़	मनोहरसिंह नाहर	रेंजर, वन विभाग, चित्तौड़गढ़	1,00,000	रा.प.एवं दै.भा., 06.05.13
राजसमंद	शैतान सिंह देवाराम	अधिशासी अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम तकनीकी सहायक, अजमेर विद्युत वितरण निगम	7,000	दै.भा.एवं रा.प., 07.05.13
जयपुर	मदनलाल बागड़ा	कनिष्ठ लिपिक, नगर निगम, जयपुर	2,500	रा.प., 09.05.13
अजमेर	शरद जैन	वरिष्ठ सर्जन, जेएलएन अस्पताल, अजमेर	3,000	दै.भा., 09.05.13
श्रीगंगानगर	महेन्द्र सहारण	बाबू, यू.आई.टी., श्री गंगानगर	40,000	दै.भा., 10.05.13
राजसमंद	रणछोड़ त्रिपाठी	पीआरओ, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय	3,800	रा.प., 17.05.13
जयपुर	विकास बंसल	कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम,फुलेरा	20,000	रा.प. एवं दै.भा., 18.05.13
झुंझुनू	गिरधारी लाल	पटवारी, पचेरी कला, झुंझुनूं	2,000	दै.भा., 29.05.13
जैसलमेर	माधवसिंह रतनू	पटवारी, पटवार कार्यालय, पंचायत भावन, रामदेवरा	1,500	दै.भा., 29.05.13
जयपुर	गिरधारी सिंह	उप निरीक्षक, कोटपूतली थाना, जयपुर	12,000	रा.प., 07.06.13
जयपुर	नाथूलाल शर्मा	सहायक कर्मचारी, मनोहरपुर ग्राम पंचायत	5,000	रा.प., 16.06.13
जयपुर	आनन्द बिहारी शर्मा	अधीक्षक, राजस्थान राज्य परिवहन निगम, सिन्धी कैम्प	4,000	रा.प., 18.06.13
जयपुर	बसंत कुमार सिह	वरिष्ठ लिपिक, पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय	1,000	रा.प.एवं दै.भा., 19.06.13
जयपुर	शीना गुप्ता	जेईएन, जयपुर विकास प्राधिकरण जोन छह, जयपुर	12,000	दै.भा., 23.06.13
उदयपुर	अनिल चौधरी	कॉस्टेबल, कानौड़ थाना, उदयपुर	50,000	दै.भा., 26.06.13
उदयपुर	ओ.पी.यादव	अधीक्षण भू वैज्ञानिक, खान व भू विज्ञान विभाग	20,000	दै.भा.एवं रा.प., 28.06.13
जयपुर	कष्ण कन्हैया गुप्ता	जूनियर अकाउंटेंट, उपआवासन आयुक्त वृत्त-3	10,000	दै.भा., 28.06.13
जयपुर	पंकज प्रभाकर अशोक वाधवानी	कमिश्नर, नगर निगम मानसरोवर जोन, जयपुर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, नगर निगम, मानसरोवर जोन	51,000	दै.भा.एवं रा.प., 29.06.13
अलवर	खुशाल दास	हैल्पर, जयपुर विद्युत वितरण निगम, खेरथल कार्यालय	7,000	रा.प., 30.06.13

खास समाचार एवं सरकारी घोषणाएं

सेवा केन्द्रों पर होगी जन सुनवाई

राजस्थान सुनवाई का अधिकार कानून के तहत अब राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर हर शुक्रवार को दोपहर 12 से 3 बजे तक जन सुनवाई की जाएगी। इसके लिए सभी केन्द्रों पर सुनवाई सहायता केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। आम जन से शिकायतें लेने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था लागू होगी।

इसके तहत सुनवाई सहायता केन्द्रों पर कोई भी व्यक्ति सुबह 10 से 12 बजे तक शिकायत या आवेदन दे सकता है। यह शिकायत सादा कागज पर भी दी जा सकती है। यहां कर्मचारी कोई भी शिकायत लेने से मना नहीं कर सकता। शिकायत प्राप्ति की रसीद भी दी जाएगी। जन सुनवाई के समय संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। जानकारी के लिए सेवा केन्द्र के बाहर एक सूचना पट्ट लगाया जाएगा। *(दै.भा., 10.04.13)*

प्रदेश में बढ़े पेंशन पाने वाले लोग

प्रदेश में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा विभिन्न पेंशन स्कीमों में किए गए सुधारों के मॉडल को केन्द्र सरकार पूरे देश में लागू करने की तैयारी कर रही है। पेंशन स्कीमों में राज्य सरकार द्वारा सरकारी बाधाएं दूर करने से पेंशन पाने वाले लोगों की संख्या में काफी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

राज्य सरकार ने अब सभी ग्राम पंचायतों पर पेंशन पाने वालों के नाम की सूची चस्पा करने का निर्णय लिया है। इससे गलत तरीकों से पेंशन स्वीकृत कराने वालों और एक व्यक्ति को दो बार पेंशन जैसे मामलों पर रोक लग सकेगी। डाक विभाग से समन्वय कर डाकियों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। उनसे एक पते पर एक ही महीने में दो बार पेंशन वाले मामलों पर नजर रखने को कहा जाएगा। *(रा.प., 14.06.13)*

पंचायतों को मजबूत बनाने की आवश्यकता

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हमें निश्चित रूप से यह कोशिश करनी चाहिए कि पंचायती राज केवल नाम बन कर न रहे, बल्कि यह जीवन की सच्चाई बने।

उन्होंने कहा कि पंचायत का मकसद प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करना है, ताकि लोगों को अपना प्रशासन खुद चलाने का अधिकार मिल सके। केन्द्र इसके लिए राज्य सरकारों की हरसंभव मदद के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में पंचायतों के लिए 6437 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। *(न.नु., 25.04.13)*

राजनीतिक दल भी आरटीआई के दायरे में

लोग अब देश के राजनीतिक दलों से भी सूचना के अधिकार के तहत सवाल पूछ सकेंगे। केन्द्रीय सूचना आयोग की पूर्ण पीठ ने यह फैसला दिया है। आयोग ने कहा है कि पार्टियां सरकार से कई सुविधाएं लेती हैं, उन्हें आयकर में छूट और सस्ती जमीनें दी जाती हैं। इसलिए उन्हें लोगों के प्रति जवाबदेह होना होगा।

फिलहाल कांग्रेस, भाजपा, माकपा, भाकपा, रांकापा और बसपा लोक प्राधिकरण हैं और आरटीआई की धारा 2(एच) के तहत इसके दायरे में आते हैं। आयोग के इस फैसले से राजीतिक दल सहमे हुए हैं। सूचना का अधिकार देने वाली कांग्रेस ही अब खुद इसके दायरे में आने को तैयार नहीं हैं। अन्य राजनीतिक दलों ने भी आयोग के इस फैसले पर विरोध जताया है।

(दै.भा.एवं रा.प., 05.06.13, 06.06.13)

गांवों तक मुफ्त जांच का फायदा

प्रदेश में एक जुलाई से शुरू होने वाले मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के दूसरे चरण में 400 से भी ज्यादा अस्पताल शामिल होंगे। इस चरण में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) को शामिल किया जाएगा। ग्रामीण लोगों को निशुल्क जांच का असली फायदा इसी चरण में मिलेगा।

इस चरण में सीएचसी में 28 तरह की जांचें मुफ्त करने की तैयारी है। योजना से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक खून की अधिकांश जांचों के अलावा एक्सरे व इसीजी भी मुफ्त होगा। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस समय प्रदेश में करीब 430 सीएचसी हैं। इस योजना को लागू करने में विभाग को अधिक मशक्कत करनी पड़ेगी। *(रा.प., 19.04.13)*

'आधार'होगा गरीबी निवारण में सहायक

विश्व बैंक का मानना है कि भारत में सामाजिक कल्याण के लिए आधार कार्ड तकनीक काफी उपयोगी साबित होगी। इससे गरीबों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं के पूरे लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष नन्दन नीलेकणी द्वारा वाशिंगटन में विश्व बैंक के एक कार्यदल के दौरान इस योजना को प्रदर्षित किया गया। इस अवसर पर विश्व बैंक के अध्यक्ष जिमयोंग किम ने कहा कि भारत सरकार द्वारा आधार योजना के बड़े पैमाने पर किए जा रहे क्रियान्वयन से भारत 2030 तक गरीबी उन्मूलन के अपने प्रयास में अवश्य सफल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आधार योजना का वित्तीय सेवाओं में समन्वित उपयोग किए जाने की जरूरत है। योजना के क्रियान्वयन में विश्व बैंक अपना पूरा सहयोग देगा। *(न.नु., 14.05.13)*

सरकार बनाएगी पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट

सभी विभागों के लिए सरकार जल्दी ही पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट बनाने जा रही है। ऐसा हुआ तो जनता को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने का बहाना बना कर सरकारी अधिकारी व कर्मचारी सूचना देने से मना नहीं कर पाएंगे। एक्ट बना तो जनहित से जुड़ा सरकारी रिकॉर्ड सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

(रा.प.एवं दै.भा., 20.04.15)

साडी–कंबल की जगह बंटेंगे चेक

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस साल बजट में बीपीएल, स्टेट बीपीएल और समकक्ष 39 लाख परिवारों की महिलाओं को दो–दो साड़ियां और पुरुषों को एक–एक कम्बल देने की घोषणा की गई थी। अफसरों ने काफी खोजबीन की लेकिन वे 80 लाख साड़ियां नहीं जुटा पाए। बुनकर संघ, खादी भंडारों व हैंडलूमों ने भी कम समय में साड़ियां सप्लाई करने में असमर्थता जताई।

मद्देनजर सरकार ने प्रदेशभर के हर ऐसे परिवार को 1500 रुपए का चेक देने का फैसला किया है। इसके लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं तथा सभी संभागीय आयुक्त और कलेक्टरों को 27 जून से 12 जुलाई के बीच चेक वितरण सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर करीब 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। *(दै.भा., 11.06.13, 16.06.13)*

उपकरण फुंके तो मिलेगा हर्जाना !

हाईवोल्टेज से नुकसान होने पर बिजली वितरण कंपनियां अब अपने उपभोक्ताओं को हर्जाना देंगी। इतना ही नहीं विद्युत आपूर्ति से जुड़ी समस्या, नया कनेक्शन या कोई दूसरा काम तय समय में पूरा नहीं होने पर भी कंपनियों को क्षतिपूर्ति देनी होगी।

विद्युत कंपनियों के मनमाने रवैये पर नकेल कसने के लिए राजस्थान विद्युत नियामक आयोग विद्युत आपूर्ति से जुड़े स्टैण्डर्ड ऑफ परफॉरमेंस के प्रावधानों में बदलाव की तैयारी कर रहा है। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के सचिव जी.के. शर्मा ने कहा है कि स्टैण्डर्ड ऑफ परफॉरमेंस का नया प्रस्ताव तैयार कर आपत्तियां मंगाई हैं।

(रा.प., 11.05.13)

बिजली चोरों पर होगा दोगुना जुर्माना

बिजली चोरी करने वालों के पकड़े जाने पर दोगुना जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। निगम कंपाउड राशि के साथ चोरी के आरोपी से सिविल लाइबिलिटी के रूप में पैसा वसूलेगा। इस बारे में डिस्कॉम के चीफ इंजीनियर (कामर्शियल) ने आदेश जारी किए हैं।

विभाग का मानना है कि नई व्यवस्था से बिजली चोरी करने वालों पर रोक लगेगी। अधिकारियों का मानना है कि घरेलू उपभोक्ताओं की ओर से की जाने वाली बिजली चोरी पर अंकुश लगा है, लेकिन बिना कनेक्शन के बिजली चोरी करने वालों पर रोक नहीं लग पाई। आदेश में कहा गया है कि बिजली चोरी करने वाला किसी भी तरह की श्रेणी का उपभोग कर रहा हो, उस पर दोहरा जुर्माना लगाया जाएगा।

(न.नु., 09.04.13)

मीटर से छेड़छाड़ पर सख्त कार्रवाई

जोधपुर विद्युत वितरण निगम अब मीटर जांच की नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। किसी भी उपभोक्ता द्वारा मीटर से छेड़छाड़ करने पर भारी जुर्माने के साथ उसे जेल तक जाने की नोबत आ सकती है। डिस्कॉम ने नए निर्देश जारी कर विद्युत कार्यालयों को प्रतिदिन मीटर गड़बड़ी के मामले पकड़ने का जिम्मा सौंपा है। इसमें कोताही बरतने पर अभियंताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मीटर से छेड़छाड़ करने वालों के लिए डिस्कॉम प्रबंधन ने सीधे दोषी उपभोक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। डिस्कॉम अभियंता रोजाना फील्ड में जाकर किसी भी उपभोक्ता के मीटर की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा मीटर पुराना होने तथा साफ सफाई के दौरान मीटर की सील टूटने या मीटर तक सर्विस लाइन में कोई कट या ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। यदि है तो इसकी जानकारी विभाग को देनी जरूरी है। *(न.नु., 10.04.13)*

मिलेंगी मुफ्त सीएफएल

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली की बचत का संदेश देते हुए इस साल के बजट में बिजली उपभोक्ताओं को दो-दो सीएफएल बांटने की घोषणा की थी। इस घोषणा की पालना में बिजली वितरण कंपनियों ने 50 लाख परिवारों को सीएफएल बांटने की तैयारियां शुरू कर दी है। बिजली कंपनियों का दावा है कि अगस्त माह तक इन परिवारों को दो-दो सीएफएल बांट दी जाएगी।

सीएफएल के लिए उपभोक्ताओं को पिछले महीने का बिजली बिल और पहचान-पत्र देना होगा। जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में उपभोक्ताओं की सीएफएल देते हुए फोटों भी खींची चाएगी, ताकि किसी विवाद से बचा जा सके। वितरण के लिए कैम्प आयोजित किए जाएंगे। जो उपभोक्ता कैम्प से सीएफएल नहीं ले पाएंगे उन्हें उपखण्ड कार्यालय के स्टोर से सीएफएल जारी की जाएगी।

(रा.प., 10.05.13 एवं 13.06.13)

गांवों में मिल सकेगी थ्री फेज बिजली

कस्बों व गांवों में बिना किसी बाधा के 24 घंटे थ्री फेज बिजली मिलने का सपना सितम्बर तक पूरा होगा। इसका लाभ चार से पांच हजार तक की आबादी वाले कस्बों को मिलेगा। अजमेर डिस्कॉम के निर्देश पर भीलवाड़ा जिले में बिजली निगम ने सर्वे कराया है। सर्वे में 14 कस्बों को चिन्हित किया है। अब तक इन क्षेत्रों में 3 घंटे बिजली मिल रही है।

इसका फायदा शहरी क्षेत्रों को भी मिलेगा। कुछ शहरी क्षेत्रों में कृषि कनेक्शनों के लिए अलग से सिस्टम नहीं है। इन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में व्यवधान आते हैं। इस प्रोजेक्ट में 11 केवी लाइन अलग से डाली जाएगी और कृषि के लिए लाइन भी अलग होगी। इससे कृषि कनेक्शनों का दबाव आबादी क्षेत्रों की आपूर्ति पर नहीं पड़ेगा। *(न.नु., 20.05.13)*

सुविधा देने के नाम पर दिखावा

कंगाली का रोना रोकर दो साल में तीन बार बिजली के दाम बढ़ाने वाली बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को सुविधा देने के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रही है। प्रदेश की राजधानी में पिछले दो साल के भीतर एक लाख से भी ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। बावजूद इसके मेंटिनेंस पार्टियां जस की तस है।

अनदेखी के हालात यह है कि एक-एक मेंटिनेंस पार्टी पर 15-15 हजार उपभोक्ताओं का भार आ गया है, जिससे वे न तो तुरंत शिकायतों का निपटारा हो रहा है और न ही सुचारू बिजली आपूर्ति की जा रही है। राजधानी में केवल 4 दर्जन मेंटिनेस पार्टियां हैं, जब कि उपभोक्तओं की संख्या साढ़े छह लाख को पार कर गई है।

नतीजतन पार्टियां एक से दो घंटे के इन्तजार के बाद भी शिकायतों को सुधार नहीं पा रही है। बिजली आपूर्ति की समस्याओं का समय पर निस्तारण और उपभोक्ताओं को हर्जाना देने की बात पर अभियंताओं का बचाव करते हुए अभियंता एसोसिएशन ने संसाधन बढ़ाने और भर्तियां करने की जरूरत बताई है।

(रा.प., 11.06.13, 19.06.13)

फिर बढ़ी बिजली की दरें

महंगाई से त्रस्त जनता पर सरकार ने फिर बोझ लाद दिया है। बिजली कंपनियों ने घरेलू, अघरेलू और कृषि श्रेणी की बिजली दरें बढ़ा दी हैं। विद्युत सुधार के नाम पर कंपनियां बनने के बाद पांचवी बार दाम बढ़े हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को 500 यूनिट से अधिक बिजली उपभोग करने पर उसके लिए 30 पैसे प्रति यूनिट अधिक देने होंगे, वहीं अघरेलू श्रेणी पर 35 पैसे प्रति यूनिट का भार आएगा। कंपनियों का कहना है कि इस फैसले से करीब 96 हजार उपभोक्ता प्रभावित होंगे, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पौने दो लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित होंगे।

कृषि उपभोक्ताओं की दरों में भी वृद्धि की गई है, लेकिन यह भार राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में वहन करेगी। इसके लिए सरकार द्वारा 5 हजार 774 करोड़ रुपए का अनुदान बिजली कंपनियों को दिया जाएगा। किसानों पर इस बढ़ोतरी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। *(रा.प., 07.06.13 एवं न.नु., 08.06.13)*

बिजली छीजत, बिजली चोरी ! उपभोक्ता पर है दोनों भारी !!

किसानों के लिए सोलर पम्प योजना

राज्य सरकार किसानों को खेतों में सौर ऊर्जा से चलने वाले वाटर पम्प उपलब्ध कराएगी। इसके तहत उद्यानिकी विभाग की ओर से 86 फीसदी अनुदान भी दिया जाएगा। इससे किसानों की बिजली समस्या का समाधान हो सकेगा।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन व राष्ट्रीय कृषि विकास की सोलर पम्प परियोजना के तहत राज्य में दस हजार सौर ऊर्जा पम्प सैट उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उद्यानिकी विभाग पम्प सेट लगाने वाली कंपनियों की सूची जारी करेगा। कंपनी द्वारा किसान को खेत में सौर ऊर्जा आधारित पम्प का पूरा सेटअप तैयार करके दिया जाएगा। पम्प के पाइप को बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति से भी जोड़ा जाएगा। यह सुविधा उन किसानों के लिए है, जिनके खेतों का आकार 0.5 हेक्टेयर है। किसानों को इसके लिए अपने हिस्से की राशि दस हजार रुपए का डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराना होगा। *(न.नु., 13.06.13)*

जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता

केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण वर्ष 2013 के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए अनेक गतिविधियां चलाई जाएंगी जिनमें जल संबंधी मुद्दों पर जोर दिया जाएगा और उन्हें पानी के संरक्षण और उसके विवेकपूर्ण इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

यह जल संरक्षण राष्ट्रीय जल मिशन का मुख्य उद्देश्य है जो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत 8 मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण, पानी को कम से कम बर्बाद करना और सभी राज्यों में और उसके भीतर एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के जरिए जल संसाधनों का समान रूप से वितरण सुनिश्चित करना है।

इन गतिविधियों के जरिए सीमित जल के प्राकृतिक संसाधन के महत्व, पानी के विवेकपूर्ण इस्तेमाल के तौर तरीकों और जल से संबंधित स्थानीय मुद्दों के समाधान के प्रति लोग जागरूक होंगे तथा सामूहिक जिम्मेदारी के जरिए जल संसाधन के इस्तेमाल में योगदान देंगे, जिससे सभी को फायदा होगा। *(न.नु., 20.05.13)*

पीना पड़ रहा है दूषित पानी

सरकार लाख दावे करे कि लोगों को पीने का पानी शुद्ध मिल रहा है, हकीकत एकदम उलट है। यहां तक कि प्रदेश की राजधानी जयपुर में ही दूषित पानी सप्लाई हो रहा है। जयपुरिया अस्पताल स्थित राज्य प्रयोगशाला में पानी की नमूना जांच के बाद जारी रिपोर्ट ने सरकार के इस दावे की पोल खोल दी है।

प्रयोगशाला में फरवरी से मई माह तक प्रदेशभर से 108 नमूने जांच के लिए लाए गए। इसमें से 8 नमूने फेल हुए जिनमें से 4 नमूने जयपुर शहर के हैं। जांच रिपोर्ट में इन नमूनों को संदिग्ध और असंतुष्ट श्रेणी में बताया गया है। इस पानी के लगातार सेवन से पेट, लीवर और अन्य पाचक अंगों पर विपरीत असर पड़ता है। इससे पीलिया, उल्टी-दस्त जैसे रोग होने की आशंका रहती है। जयपुर के कई इलाकों में दूषित पानी सप्लाई से कई लोगों की मौत के मामले काफी समय से सामने आ रहे हैं। *(रा.प., 05.06.13)*

बढ़ाई जा सकती है पानी की दरें

पेयजल आपूर्ति में आ रहे अधिक खर्च को देखते हुए पेयजल की दरों की समीक्षा होगी। इसके लिए जलदाय विभाग ने मॉडल तैयार किया है। यह मॉडल सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जगतपुरा क्षेत्र में लागू होगा। बाहरी कॉलोनियों में पेयजल पहुंचाने में आ रही समस्याओं पर नगरीय विकास विभाग व जलदाय विभाग के आला अधिकारियों की बैठक में जलदाय विभाग के प्रमुख सचिव पुरषोत्तम अग्रवाल ने बताया कि 200 कि.मी.दूर बीसलपुर बांध से पानी लाना और उसे शुद्ध कर घरों तक पहुंचाने में बहुत अधिक खर्च होता है।

यह खर्च उपभोक्ताओं से प्राप्त होने वाली राशि से काफी अधिक है। शौचालय व पेड़-पौधों के लिए काम में लिए जाने वाले पानी का रिसाइक्लिंग भी जरूरी है। बैठक में तय किया गया कि जलदाय विभाग मौजूदा पानी की दरों में संशोधन, बाहरी कॉलोनियों में पेयजल आपूर्ति व पानी की रिसाइक्लिंग के लिए जल्द ही प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। *(रा.प., 16.04.13)*

देश में है पानी की भारी कमी

पानी के लिहाज से भारत की स्थिति काफी दयनीय है। विश्वभर की तुलना में भारत में आबादी 18 प्रतिशत है जबकि पानी 4 प्रतिशत ही है। यह बात भारत जल सप्ताह के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में उभरकर सामने आई।

राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने नई दिल्ली में इस सप्ताह के शुरुआती अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि देश में बार-बार सूखे और बाढ़ों को देखते हुए जल संसाधनों के प्रबंधन को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। जल संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जल प्रबंधन के लिए विकसित और विकासशील देशों के बीच प्रोद्योगिकी और ज्ञान के हस्तान्तरण तथा अनुभवों के प्रभावी आदान-प्रदान की आवश्यकता है। *(न.नु., 10.04.13)*

विधायक लगवा सकेगा 100 हैंडपम्प

गर्मियों में लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हैंडपम्प खराब पड़े हैं या सूख गए हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण महिलाएं कई किलोमीटर की दूरी से सिर पर पानी ढोकर लाती हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां लोगों का जीवन महज एक कुएं पर टिका है।

इस साल के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 20 हजार हैंडपम्प लगाने की घोषणा की थी। घोषणा की क्रियान्विति विधायकों के माध्यम से की जा रही है। प्रदेश के हर विधायक को अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस साल 100-100 हैंडपम्प लगाने का अधिकार दिया गया है। *(दै.भा., 11.05.13)*

धड़ल्ले से खुद रहे हैं अवैध बोरिंग

जयपुर जिले की पाश कालोनियों में अवैध बोरिंग का खेल फिर से बढ़ने लगा है। जिला प्रशासन की अनदेखी का फायदा उठाकर कुछ गिरोह ने जरूरतमंदों से पैसा ऐंठकर धड़ल्ले से अवैध बोरिंग खोदने का कारोबार शुरू कर दिया है। जिला कलेक्टर टी. रविकांत ने थानावार अधिकारियों को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी थी।

उन्हें निर्देश दिए गए थे कि अवैध बोरिंग की सूचना मिलते ही तुरन्त मौका मुआयना किया जाए और ड्रिलिंग करने वाली मशीन जब्त कर आरोपियों के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई हो। ऐसे में बाहरी कॉलोनियों में कार्रवाई से बचने के लिए रात के अंधेरे में ड्रिलिंग मशीन मंगवाई जाती है और रातों-रात बोरिंग खोदकर उसे थोड़े दिनों के लिए मिट्टी में दबा दिया जाता है। प्रशासनिक अधिकारी तमाशबीन बने हुए हैं। *(रा.प., 06.05.13)*

नहीं नकार सकते आधी आबादी के अधिकारों को

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जीएस सिंघवी ने कहा कि साठ साल में संविधान की प्रस्तावना को नहीं समझे और संविधान लागू होने के बाद हमने अधिकारों की बात की व कर्तव्यों पर ध्यान नहीं दिया। जबकि संविधान निर्माताओं ने सामाजिक न्याय शब्द का उपयोग किया और राजनीति को पीछे रख समानता को उद्देश्य में जोड़ा था। लेकिन आज भी महिलाएं समानता के मामले में कई मायनों में काफी पीछे हैं।

श्री सिंघवी ने जयपुर में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित महिला सशक्तिकरण: विधिक सेवाओं की भूमिका विषयक कार्यशाला को संबोधित करते हुए उक्त विचार रखे। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीष पी. सदाशिवम ने कहा है कि देश की आधी आबादी के अधिकारों को नहीं नकारा जा सकता। महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए आर्थिक व सामाजिक नीतियां बनानी होगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ होने वाले दुष्कर्म के मामलों का निपटारा करने के लिए समय सीमा तय करें। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभिताभ रॉय ने कहा कि महिलाओं को समानता का अधिकार मिले इसके लिए न्याय पालिका काम कर रही है। *(दै.भा. 12.05.13)*

जन्म के 24 घंटे में शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक

करीब तीन लाख नवजात शिशु प्रतिवर्ष जन्म के पहले दिन ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। गैर सरकारी संस्था सेव द चिल्ड्रन द्वारा किए गए शोध के अनुसार इस मामले में भारत वैश्विक स्तर पर तीस फीसदी हिस्सेदारी रख रहा है। इस स्थिति के लिए बाल विवाह और अशिक्षा सबसे बड़ा कारण है।

यही नहीं, भारत प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद मृत्यु को प्राप्त होने वाली महिलाओं के प्रतिशत में भी आगे है। वार्षिक स्तर पर होने वाली महिलाओं की मौत भारत में होती हैं। सरवाइविंग द फर्स्ट डे नामक शोध में पाया गया है कि लड़कियों की शिक्षा का स्तर, गरीब-अमीर आय का असंतुलन, ग्रामीण व शहरी वर्ग में असंतुलन, जातिगत विभाजन, बाल विवाह, कुपोषण, नवजात शिशुओं की मौत का कारण है। *(न.नु., 14.05.13)*

रोडवेज मे महिलाओं का सफर सस्ता

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की सभी महिलाओं के लिए रोडवेज बसों के किराए में 30 फीसदी छूट देने की घोषणा की है। इसके एवज में सरकार की ओर से रोडवेज को सालाना 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। महिलाओं के अलावा वरिष्ठ नागरिकों को भी यह सुविधा दी गई है। यह सुविधा एक्सप्रेस, वोल्वो समेत सभी बसों में दी जाएगी।

नागौर जिले के जायल कस्बे में ग्रामीण पेयजल एवं फ्लोराइड नियंत्रण योजना के शिलान्यास के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में उन्होंने यह घोषणा करते हुए इसे तत्काल लागू भी कर दिया। *(रा.प. एवं दै.भा., 21.06.13)*

स्वयं सहायता समूहों को सस्ता कर्ज

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए केन्द्र सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों को सस्ता कर्ज देगी। सरकार यह कर्ज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत उपलब्ध कराएगी। समूह अधिकतम तीन लाख रुपए तक का कर्ज ले सकेगा।

इस कर्ज से समूह की महिलाएं स्वयं का व्यवसाय चालू कर आत्मनिर्भर हो सकेंगी। इस पर सालाना सात फीसदी की दर से ब्याज लगेगा। देश में ऐसे 25 लाख से अधिक समूह हैं। सरकार शुरू में 150 पिछड़े जिलों में यह योजना लागू करेगी। *(दै.भा., 07.05.13)*

साइकिल नहीं, मिलेगी नकद राशि

माध्यमिक शिक्षा विभाग में नवीं कक्षा की करीब पांच लाख छात्राओं को अब साइकिल नहीं बल्कि उसे खरीदने के लिए नकद राशि मिलेगी। यह निर्णय राज्य सरकार ने साइकिल खरीद का टेण्डर निरस्त होने के बाद लिया है।

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सत्र 2012-13 में 2 लाख 87 हजार साइकिलों का वितरण किया जाना था। इनमें से 87 हजार छात्राओं को साइकिल का वितरण कर दिया गया है और बाकी दो लाख तथा आगामी सत्र 2013-14 में तीन लाख छात्राओं को वितरण के लिए साइकिलों की खरीद की जानी थी। *(रा.प., 07.04.13)*

बेटी जन्मी तो मिलेंगे आठ हजार

प्रदेश में बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने और मातृ मृत्यु दर कम करने के मकसद से मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना शुरू हो गई है। इसके तहत बेटी के जन्म के साथ ही अगले पांच साल तक माता-पिता को 7300 रुपए दिए जाएंगे।

इसमें से 2100 रुपए का चैक जन्म पर दिया जाएगा। बालिका की उम्र एक साल होने और सभी टीके लगवाने पर 2100 रुपए दिए जाएंगे। बालिका की आयु 5 साल होने और स्कूल में प्रवेश की स्थिति में मां को 3100 रुपए का चैक मिलेगा। जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की प्रसूताओं को 1400 रुपए व शहरी प्रसूताओं को 1000 रुपए पूर्व की तरह अलग से यथावत मिलते रहेंगे। *(रा.प., 02.04.13)*

आंगनबाड़ी के बच्चों को कुर्ता-पायजामा

प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों में पढ़ने वाले 12 लाख बच्चों को राज्य सरकार दो-दो कुर्ता-पायजामा देने जा रही है जिसका डिजाइन भी तैयार करा लिया गया है।

समेकित बाल विकास निदेशक एम.पी.स्वामी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में वर्तमान में 304 बाल विकास परियोजनाओं में 61 हजार 119 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है। जिनमें स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए 12 लाख से भी ज्यादा लाभार्थी बालक-बालिका आते हैं। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत इन बच्चों को यूनिफार्म दी जानी है। *(दै.भा., 27.06.13)*

गांवों में बढ़ीं शहरों में घटीं बेटियां

राजस्थान में ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में पिछले 10 साल में बेटियों की संख्या बढ़ी है जबकि शहरी इलाकों में उनकी संख्या कम हुई हैं। प्रदेश का जैसलमेर ही ऐसा जिला है जिसके ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 2001 की तुलना में बेटियां बढ़ी है।

जनगणना निदेशालय की ओर से तैयार 2011 की जनगणना के फाइनल आंकड़े मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जारी करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन बेटियों को बचाने के प्रति जागरूकता में कमी आई है।

(दै.भा., 26.05.13)

सड़क सुरक्षा

जरूरी है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को बचाना

हाल ही जयपुर में घाट की गुणी सुरंग में हुई दुर्घटना, जिसमें स्कूटर पर सवार महिला व उसकी बच्ची की मृत्यु ने सभी को झकझोर कर रख दिया। हालांकि दुर्घटना करने वाला ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया और मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 134 के तहत संभवतः पहली बार मामला दर्ज किया गया है। इसी अधिनियम की धारा 187 में इस चालक को 3 महीने की कैद व 500 रुपए का जुर्माना हो जाएगा, लेकिन क्या उस महिला व बच्ची को वापस जिन्दा किया जा सकता है ?

दुर्घटना के दौरान उसी समय राजस्थान रोडवेज की बस, लो-फ्लोर बस व सरकार से परमिट प्राप्त एक मिनी बस भी गुजरी, लेकिन किसी ने भी इतनी मानवता नहीं दिखाई कि अपने वाहनों को रोककर उससे घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाते। अगर उन्हें सही समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो शायद उन्हें बचाया जा सकता था। आवश्यकता यह है कि इसी धारा में आवश्यक संशोधन कर दुर्घटना के बाद में गुजरने वाले वाहन चालकों को भी उतना ही जिम्मेदार बनाया जाए जितना दुर्घटना करने वाले वाहन चालक को माना जाता है। इससे इस धारा की महत्ता बढ़ेगी साथ ही इस धारा के प्रति आम जन को जागरूक करना भी ही जरूरी है। अगर ऐसा हुआ तो संभव है दुर्घटना में घायल होने वाले को काल का ग्रास बनने से बचाया जा सके।

क्या कहती है अधिनियम की धारा 134

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 134 के अनुसार दुर्घटना करने वाले वाहन चालकों व परिचालकों के लिए यह आवश्यक है कि वे घायल पीड़ितों को तुरंत उपचार के लिए नजदीक के अस्पताल पहुंचाए। इसी धारा में यह भी कहा गया है कि पीड़ितों को तुरंत चिकित्सकीय उपचार देने के लिए चिकित्सक बिना कानूनी कार्रवाही के उपचार देना शुरू करें, जिससे घायलों को तुरंत उपचार मिल सके व उनकी जान बचाई जा सके।

पर्यावरण

जैव विविधता के संरक्षण से ही जीवन

प्रकृति ने हमें अनेक उपहार दिए हैं। हमारा जीवन इन्हीं उपहारों पर आश्रित है। इस तथ्य से सभी वाकिफ हैं। हम ही नहीं, आज पूरा विश्व जैव विविधता के बिगड़ते संतुलन से चिन्तित है। हमारे देश में भी प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन तथा कृषि में रासायनिक खाद, कीटनाशकों व जहरीली दवाओं के प्रयोग से अरबों की तादाद में केंचुए, तितलियां, भौंरें, मधुमक्खियां, पक्षी और अन्य उपयोगी जीव-जन्तु समाप्त हो चुके हैं। इन जीव-जन्तुओं की भूमि का उपजाऊपन और परागीकरण को बरकरार रखने में सैंकड़ों वर्षों से अहम भूमिका रही है।

जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्राकृतिक वनों और चरागाहों की रक्षा भी बहुत जरूरी है। नदियों में प्रदूषण बढ़ने तथा बांध-बैराज बनने से भी जैव विविधता बुरी तरह से खतरे में पड़ गई है। बढ़ते प्रदूषण, बिजलीघरों, उद्योगों व बंदरगाहों के तेज प्रसार विशेषकर परमाणु बिजलीघरों के बढ़ते खतरे के कारण जैव विविधता के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा हो गई है। दूसरी ओर जीवों के अनियंत्रित शिकार से स्थिति और भी विकट है। जैव विविधता को बचाने के लिए एक ओर जहां बजट बढ़ाना आवश्यक है वहीं स्थानीय समुदायों, आदिवासियों, कृषकों, मछुआरों, पशुपालकों आदि की उत्साहित भागीदारी से जैव विविधता को बचाया जा सकता है। *(रा.प., 25.04.13, 22.05.13)*

जन स्वास्थ्य

मुफ्त है दवा, पर मोल कौन समझे ?

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवा तो मुफ्त कर दी गई, लेकिन अब ये कचरे में भी जा रही हैं। इस्तेमाल के बाद बची दवाएं कैसे फिर अन्य दूसरे मरीजों के काम आए, यह सोचा ही नहीं गया। न तो मरीजों को जागरूक करने की कोशिश हुई और न ही बची दवाओं की वापसी के लिए कहीं बॉक्स लगाए गए। यहा तक कि प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में दवा वापसी की फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि यहां पांच हजार मरीज रोज आउटडोर में आते हैं। अगर इनडोर मरीजों की संख्या भी मिला दें तो रोज सात हजार मरीज मुफ्त दवा लेते हैं।

राजधानी के 70 फीसदी सरकारी अस्पतालों में मेडिसिन बैंकों की व्यवस्था नहीं हैं। जहां है वहां मरीजों व उनके परिजनों को पता ही नहीं है। बहुत कम मरीज या उनके परिजन ऐसे हैं जो दवाइयों को वापस कर रहे हैं। मरीजों व परिजनों को जागरूक करने की आवश्यकता है। *(रा.प., 23.04.13)*

वित्तीय सेवाएं

निजी बैंक वसूलने लगे एसएमएस शुल्क

अभी तक ग्राहकों से डेबिट कार्डो के एवज में सालाना शुल्क वसूल रहे बैंक अब बैंकिंग सेवाओं के लिए भेजे जाने वाले एसएमएस का भी शुल्क लेंगे। हालांकि अभी यह शुल्क काफी कम है, फिर भी करोड़ों ग्राहकों के लिहाज से बैंक के लिए एक बड़ी आय के रूप में यह राशि दिखेगी। बैंकों का कहना है जिन्हें यह सेवा नहीं चाहिए वह इसे बन्द करवा सकते हैं।

जानकारी के मुताबिक बैंकों ने ग्राहकों द्वारा किए जाने वाले कारोबार के एवज में भेजे जाने वाले एसएमएस के लिए यह शुल्क लगाया है। इस तरह मोबाइल बैंकिंग की सुविधा पर यह शुल्क है। बैंक वैसे तो तमाम दावे करते हैं कि वे सभी सुविधा मुफ्त में देते हैं पर अब वे मुफ्त में सुविधा देने से कतरा रहे हैं। आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ने साल में प्रति ग्राहक 60 रुपए वसूलने की शुरुआत की है।

(दै.भा., 20.06.13)

निवेशक शिक्षा

बढ़ सकते हैं सेबी के अधिकार

निवेशकों से धन जुटाकर उन्हें ठगने जैसे मामलों की कड़ी निगरानी के लिए पूंजी नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)को और ज्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। सरकार इस तरह की योजनाओं के संचालन नियमों में पूरी तरह बदलाव करने पर विचार कर रही है। इसके लिए कई कानूनों में संशोधन किए जा सकते हैं। सेबी अधिनियम के अलावा प्रतिभूति अनुबंध (नियमन) अधिनियम और डिपॉजिटरी अधिनियम में भी संशोधन किया जा सकता है।

इसके परिणामस्वरूप सेबी को सभी तरह के सामूहिक धन संग्रह गतिविधियों की निगरानी और उनके समग्र नियमन की शक्तियां दी जा सकती है। सामूहिक निवेश योजनाओं की परिभाषा को भी व्यापक बनाया जा सकता है। सामूहिक निवेश योजनाएं चलाना हालांकि सेबी के अधिकार क्षेत्र में आ चुका है लेकिन मौजूदा नियमों की खामियों का फायदा उठाकर कंपनियां सेबी की कार्रवाई को चुनौती देती रही हैं। प्रतिभूति कानून में होने वाले महत्वपूर्ण संशोधन में पूंजी बाजार नियामक को संपत्तियों की कुर्की करने, जांच व जब्त करने और गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति अथवा कंपनी की जांच मामले में किसी भी कंपनी से सूचना जुटाने की शक्तियां देना शामिल है।

(दै.भा., 28.04.13)

उपभोक्ता फैसले

भारी पड़ा बिजली कनेक्शन देने में किसान से धोखाधड़ी करना

सवाई माधोपुर के गांव खण्डार निवासी मूलचन्द बैरवा ने उपभोक्ता मंच में जयपुर विद्युत वितरण निगम के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में बताया गया कि करीब 5-6 साल पहले उसने अपने खेत पर बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। जुलाई 2010 में डिमाण्ड नोटिस मिलने पर उसने 30 हजार 730 रुपए जमा करा दिए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब निगम ने बिना कनेक्शन दिए उसे 2991 रुपए का विद्युत बिल भिजवाया। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी करने पर पता चला कि उसके नाम का विद्युत कनेक्शन बसोउ गांव के किसान गजानन्द के खेत पर लगा दिया गया था।

मामले की जांच और सुनवाई पर सामने आया कि बैरवा के खेत पर कनेक्शन तो दूर, बिजली की लाइन तक नहीं खेंची गई थी। उसके नाम का मीटर अन्य किसान के लगाना न केवल लापरवाही बल्कि गरीब किसान के साथ किया गया सरासर कपट और धोखा है। मंच ने विद्युत वितरण निगम को आदेश दिया कि वह मूल चन्द के खेत पर एक माह में विद्युत कनेक्शन लगाए। साथ ही जिस अधिकारी या कर्मचारी ने यह लापरवाही की है उसके वेतन से एक लाख रुपए के हर्जाने की कटौति की जाए। उसमें से 25 हजार रुपए मूलचन्द को हर्जाने के रूप में अदा करें तथा शेष राशि 75 हजार रुपए राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराएं। मामले की पैरवी हरिप्रसाद योगी, सचिव, कन्ज्यूमर लीगल हैल्प सोसायटी, सवाई माधोपुर ने की।

युवा वर्ग खुद बनने लगा है उपभोक्ता कार्यकर्ता

गुमानपुरा, कोटा की राजीव कॉलोनी में रहने वाली मेहरून्निसा स्नातक तक शिक्षा प्राप्त महिला है। उसने कट्स द्वारा संचालित 'ग्रेनिर्का' परियोजना की हर गतिविधि में भाग लिया है। 2011 में उसके पिता ने मो.हारून नामक ठेकेदार को, जो कोटा छावनी का निवासी है, सामान और मजदूरी सहित कोटा स्टोन लगाने के लिए 25000 रूपए का ठेका दिया था। हारून को 25000 रूपए दे दिए गए। पांच दिन बाद कुछ कोटा स्टोनों में दरारें आ गई। हारून को तत्काल सूचना दी गई तो उसने कहा कि ऐसा होता है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और दरारों वाले कोटा स्टोन को बदलने के लिए सामान और मजदूरी के तौर पर वह अतिरिक्त पैसे लेगा।

मेहरून्निसा और उसके पिता ने ठेकेदार को दलील दी कि यह उसी की गलती है, क्योंकि उसने घटिया सामग्री इस्तेमाल की है और इसलिए उसे कोटा स्टोन बिना पैसे लिए बदलना चाहिए। जब ठेकेदार नहीं माना तो मेहरून्निसा ने उसे उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि यदि वह जिला उपभोक्ता फोरम में उसकी शिकायत कर देगी तो उसे पूरे 25000 रूपए लौटाने पड़ेंगे और अलग से मुआवजा भी देना पड़ेगा। ठेकेदार डर गया, उसने इस सूचना के लिए मेहरून्निसा को धन्यवाद दिया और बिना किसी अतिरिक्त पैसा लिए दरारों वाले कोटा स्टोनों को बदल दिया।

खास समाचार

मिलावट की तो देना होगा जुर्माना और टांगना होगा बोर्ड

डूंगरपुर जिले के मिलावट करते पकड़े गए 13 व्यापारियों को अपनी-अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाना होगा। इस बोर्ड पर लिखा होगा- 'मेरे यहां मिलावट पाई गई।'

जन हित के मद्देनजर यह अनूठी सजा डूंगरपुर जिले के अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट (एडीएम कोर्ट) ने दी है। इसके अलावा कोर्ट ने इन व्यापारियों पर दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

पिछले दिनों डूंगरपुर जिले में दूध व मावे में मिलावट के 13 मामले पकड़े गए थे। इन मामलों पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट गोपालराम बिरड़ा ने सुनवाई कर व्यापारियों के खिलाफ यह अनोखा फैसला सुनाया है। एडीएम ने आदेश दिया है कि व्यापारियों को अपनी -अपनी दुकान के आगे 'मेरे यहां मिलावट पाई गई' के बोर्ड टांगने होंगे। इससे दुकान पर आने वाले ग्राहकों को भी उनके द्वारा मिलावटी सामान बेचने की जानकारी हो सके। एडीएम ने सभी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

उम्मीद की जाती है कि कोर्ट के इस फैसला से मिलावटखोरों में डर पैदा होगा और कोर्ट के इस फैसले को आगे भी एक नजीर के रूप में भी देखा जा सकेगा। *(दै.भा., 07.05.13)*

जन हित के मद्देनजर

पूर्व में ऐसा ही एक फैसला भीलवाड़ा जिले की एडीएम कोर्ट ने दिया था। जिसमें दो व्यापारियों पर एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। साथ ही उन्हें अपनी-अपनी दुकानों के बाहर 2 गुना 3 फीट का बोर्ड लगाने के आदेश दिए गए थे, जिन पर लिखा गया था -मैं मिलावट खोर हूं। इस फैसले को 'ग्राम गदर' के दिसम्बर, 2012 अंक में प्रकाशित किया गया था अब यह एक 'नजीर' बन गया है।

उपभोक्ता आयोग के रजत जयंती समारोह में सामने आई सच्चाई

राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग को भले ही बने हुए 25 साल हो गए, लेकिन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के बजाय वह खुद पंगु हालत में है। उसके पास न तो खुद का भवन है न आवश्यक कर्मचारी। ऐसे में उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने की बात करना बेमानी है।

राज्य उपभोक्ता आयोग के रजत जयंती समारोह में यह सच्चाई उभरकर सामने आई। आयोग के अध्यक्ष अशोक परिहार ने खुद संसाधनों के अभाव का जिक्र करते हुए कहा कि हम जनता की सुनवाई पेड़ के नीचे भी कर लेंगे। लेकिन कर्मचारी ही नहीं होंगे तो उसकी कानूनी प्रक्रिया के तहत कागजी कार्रवाई कैसे की जा सकती है।

उन्होंने खाद्य-नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री परसादी लाल मीणा की मौजूदगी में अपनी व्यथा जताते हुए कहा कि कर्मचारियों की भर्ती के लिए सेवा नियम भी बना चुके हैं, बावजूद इसके कार्मिक विभाग अड़ंगा लगा रहा है। परिहार की पीड़ा सुनकर मीणा ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार जल्द ही समस्याओं का समाधान कर आयोग को सशक्त बनाया जाएगा। *(रा.प.एवं दै.भा., 08.06.13)*

गांवों में भी लगेंगी उपभोक्ता अदालतें

खाद्य मंत्री परसादीलाल मीणा ने कहा है कि उपभोक्ताओं की समस्याओं और अन्य मामलों को निपटाने के लिए शहरों के साथ गांवों तक में उपभोक्ता अदालतें लगेंगी।

इसके लिए उन्होंने राज्य आयोग से गांवों में जाकर ऐसी अदालतें लगाने को कहा है। उपभोक्ताओं को जल्द न्याय मिल सके इसके लिए राज्य आयोग व जिला मंच भी तत्परता बरतें।

स्त्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, पं.के. पंजाब केसरी, लो.द.: लोकदशा

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.513 3259 फैक्सः 228 2485, टेलीफैक्सः 401 5395, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।